न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 — 19 / 2023
दर्ज दीवान : —

1. बालचन्द पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी बिराण तह0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम

1. शारदा पत्नी अमरचंद जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
रापठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री सतवीर अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 13/6/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 एएमएस के खाता सं0 55 / 51 की कुल 0.713है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व इसी प्रकार चक 4 एएमएस के खाता सं0 141 / 55 की कुल 1.025है0 अप्रार्थी सं0 1 शारदा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के मु0न0 8 के किला न0 22 / 2 की 0.009है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व, किला न0 23 की 0.012है0 दक्षिणी तरफपश्चिम से पूर्व, किला न0 24 की 0.012है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व तथा किला न0 25 / 3 की 0.002है0 दक्षिणी तरफ दक्षिणी—पश्चिमी कोना तक इस प्रकार कुल 0.035है0 रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के मु0न0 8 के किला न0 22 / 2 की 0.009है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व, किला न0 23 की 0.012है0 दक्षिणी तरफपश्चिम से पूर्व, किला न0 24 की 0.012है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व तथा किला न0 25 / 3 की 0.002है0 दक्षिणी तरफ दक्षिणी—पश्चिमी कोना तक इस प्रकार कुल 0.

035है0 रास्ता का उपयोग करता है लेकिन उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने रास्ता की एवज में भूमि के बदले अप्रार्थीया ने किमत पहले ही लेना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए चक 4 एएमएस के खाता सं0 141/55 के मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.009है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व, किला न0 23 की 0.012है0 दक्षिणी तरफपश्चिम से पूर्व, किला न0 24 की 0.012है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व तथा किला न0 25/3 की 0.002है0 दक्षिणी तरफ दक्षिणी–पश्चिमी कोना तक इस प्रकार कुल 0.035है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिससे के प्रतिफल में अप्रार्थीया ने किमत पहले लेना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 एएमएस के खाता सं0 141/55 के मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.009है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व, किला न0 23 की 0.012है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व, किला न0 24 की 0.012है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व तथा किला न0 25/3 की 0.002है0 दक्षिणी तरफ दक्षिणी–पश्चिमी कोना तक इस प्रकार कुल 0.035है0 दक्षिण सीव डोल के पास –पास 8 फिट चोडाई में रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी),
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़